न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

निगरानी प्र0 क0 2376–दो/2006 विरूध्द आदेश दिनांक 25–11–06 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 222/अ–6/04–05 अपील

1– कृष्णगोपाल पुत्र भूरा लोधी उर्फ सुम्मेर चन्द्र
   ना0बा0 सरपरस्त चाचा चन्द्रभूषण पिता बालाप्रसाद
2– चन्द्रभूषण पिता बालाप्रसाद लोधी
3– रामचन्द्र पिता बालाप्रसाद लोधी
4– भूरा उर्फ सुम्मेर चन्द पिता बालाप्रसाद लोध
5– सुरेश कुमार पिता बालाप्रसाद लोध
   नि0 ग्राम चतुरेकापुरवा (बहिरवारा तह0
   अजयगढ़ जिला पन्ना, म0प्र0
6– चन्दा पिता बालाप्रसाद लोध
   नि0 ग्राम डिगवाही, तह0 एवं जिला बांदा
7– चन्दा पिता बालाप्रसाद लोध
   नि0 ग्राम केवटपुर, तह0 अजयगढ़
   जिला पन्ना, म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूध्द

1– [illegible] पत्नी रामचन्द लोध
2– कौशिल उर्फ उर्मिला पुत्री
   नि0 ग्राम गढ़ी चांदपुर, तह0 नरेनी, जिला बादा
3– शैल्ली पत्नी रामलखन लोध
4– हरिशरण पिता रामलखन लोध
5– हरवंश पिता रामलखन लोध
6– श्यामलली पुत्री रामलखन लोध
7– [illegible] पुत्री रामलखन लोध
   नि0 3 से 7 नि0 ग्राम चतुरेका पुरवा
   (बहिरवारा) तह0 अजयगढ़ जिला पन्ना

—— अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक– अनावेदक क0–1 एवं 2
श्री योगेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक– अनावेदक क0 4 से 7

21.7.14

 निग0 क0 2376–दो/2006

आदेश

(आज दिनांक 21.1.15 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण कमांक 222/अ–6/04–05 में पारित आदेश दिनांक 25–11–2006 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक क0–1 कृष्णगोपाल तथा आवेदक क0–2 चन्द्रभूषण ने मृत बालाप्रसाद व्दारा की गयी पंजीयत वसीयत के आधार पर ग्राम बहिरवारा स्थित भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 3.59 पर नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय में अनावेदक टटी तथा कोशिल्या व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 12–03–04 में यह निष्कर्ष निकाला कि बालाप्रसाद के स्वत्व में कुल किता 10 कुल रकबा 8.86 हे. पेत्रिक भूमि है जिस पर बालाप्रसाद तथा उसके चार पुत्रगण तथा मृत पुत्र रामलखन का स्वत्व निहित था तथा बालाप्रसाद को 1.47 हे. भूमि पर स्वत्व होने से इतनी ही भूमि की वसीयत करने की अधिकारिता थी। अतः तहसील न्यायालय ने वसीयत के आधार पर 1.47 हे. भूमि पर वसीयतग्रहिता कृष्णगोपाल तथा चन्द्रभूषण का नामान्तरण करने तथा शेष भूमि 2.12 हे. पर मुस. रामप्यारी पत्नि बालाप्रसाद 1/8, रामचन्द्र 1/8, भूरा उर्फ सुम्मेरचन्द्र 1/8, चन्द्रभूषण 1/8, मृत पुत्र रामलखन के उत्तराधिकारियों का 1/8, पुत्रीगण श्यामलली एवं मीना 1/8, चन्दा पुत्री बालाप्रसाल 1/8 एवं रंची पुत्री बालाप्रसाद 1/8 पर वारिसान हक में नामान्तरण के आदेश दिये।

3/ तहसील के उक्त आदेश के विरूध्द आवेदक क0–1 कृष्णगोपाल एवं चन्द्रभूषण व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30–10–04 में यह निष्कर्ष निकाला कि बटवारा प्रकरण क0 5अ–27/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 27–2–01 व्दारा बटवारे में प्राप्त भूमियों की वसीयत करने की अधिकारिता बालाप्रसाद को थी। स्वत्व के निराकरण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने अपील स्वीकार कर 2.12 हे. पर वारिसान नामान्तरण को निरस्त किया और वसीयत के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिये।

4/ उक्त आदेश के विरूध्द अनावेदक टंटी तथा कोशिल्या व्दारा व्दितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 25–11–06 व्दारा अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया और अपर तहसीलदार का आदेश दिनांक 12–3–04 बहाल किया है। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

5/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 3.59 हे. वसीयतकर्त्ता बालाप्रसाद लोध के भूमिस्वामी स्वत्व में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। प्रश्नाधीन भूमि बालाप्रसाद के नाम आपसी बटवारा दिनांक 17–2–96 के आधार पर नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–1–01 व्दारा अंकित हुई जिसके विरूध्द सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी प्रस्तुत नहीं करने से वह अंतिम हो गया है। उनका तर्क है कि वसीयतनामा को तहसील न्यायालय व्दारा भी आंशिक मान्य किया गया है।

तहसील न्यायालय में मूल वसीयत की प्रति प्रस्तुत की गयी थी और उसे साक्ष्य से सिध्द किया गया किन्तु अपर आयुक्त ने न्याय दृष्टान्त के आधार पर अपील स्वीकार करने में भूल की है। बालाप्रसाद व्दारा पंजीयत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है और राजस्व न्यायालय को पंजीयत वसीयतनामें के विरूध्द आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है। अतः उन्होंने अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश बहाल करने का अनुरोध किया।

6/ अनावेदक क0–1 एवं 2 के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पेत्रिक भूमि है। बालाप्रसाद को पेत्रिक भूमि में अपने स्वत्व के अधिक भूमि वसीयत करने की अधिकारिता नहीं थी। उनका तर्क है कि बालाप्रसाद विरूध्द टंटी बगैरह में फर्जी बटवारा होने से निर्णय दिनांक 29–7–99 व्दारा बटवारा निरस्त किया गया तथा अपील प्रस्तुत होने पर अपील प्र0क0 46/अपील/99–2000 आदेश दिनांक 31–10–2000 व्दारा अपील निरस्त कर सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। उनका तर्क है कि वसीयतनामा फजी है और साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया। अनावेदक क0–4 से 7 के अभिभाषक ने अनावेदक क0–1 एवं 2 के अभिभाषक के तर्कों से सहमति व्यक्त करते हुए निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

7/ अपर तहसीलदार ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि बालाप्रसाद के स्वत्व मे धारित कुल किता 10 कुल रकबा 8.86 हे. भूमि पैत्रिक होने के प्रत्येक का समान स्वत्व निहित होने से तहसीलदार ने प्र0क0 12/अ–27/98–99 में पारित आदेश दिनांक 29–07–99 में बालाप्रसाद व्दारा अपने पुत्र रामचन्द्र को हिस्सा नहीं देने से विभाजन पत्र निरस्त किया गया। इसके विरूध्द अपील आदेश दिनांक 31–10–2000 व्दारा निरस्त कर सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात पंजीयत

विभाजनपत्र के आधार पर नवीन बटवारा आदेश प्र0क0 5/अ–27/2000–01 आदेश दिनांक 27–01–01 व्दारा कराया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रश्नाधीन भूमि कुल रकबा 3.59 हे. बालाप्रसाद को विभाजन में प्राप्त होने तथा उसके नाम राजस्व अभिलेख में अंकित होने से वसीयत करने की अधिकारिता होना मान्य किया है, जो सही नहीं है। नामान्तरण के आधार पर किसी व्यक्ति को स्वत्व प्राप्त नहीं मान्य नहीं किया जा सकता। प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक भूमि थी, इस तथ्य का खण्डन आवेदक क0–1 एवं 2 वसीयतग्रहिता व्दारा नही किया गया है। पैत्रिक भूमि पर सभी वारिसान को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत स्वत्व प्राप्त था, इस कारण वसीयतकर्त्ता बालाप्रसाद व्दारा अपने स्वत्व से अधिक भूमि की वसीयत नही की जा सकती थी। वसीयत के आधार पर नामान्तरण तभी किया जा सकता है, जब वसीयत साक्ष्य से असंदिग्ध प्रमाणित हों तथा वसीयतकर्त्ता को वसीयत करने की अधिकारिता हों। सिर्फ वसीयत पंजीयत होने से उसके आधार पर राजस्व न्यायालय व्दारा नामान्तरण नहीं किया जा सकता। प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक भूमि होने से वसीयतकर्त्ता बालाप्रसाद को 1.47 हे. भूमि की ही वसीयत करने की पात्रता होने से इस भूमि पर वसीयत के आधार पर तथा शेष 2.12 हे. भूमि पर वारिसान हक में नामान्तरण करने के आदेश देने में अपर तहसीलदार व्दारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है जिसे व्दितीय अपील में विव्दान अपर आयुक्त व्दारा बहाल किया गया है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता हैं। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 25–11–06 तथा तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 12–03–04 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0